


22/3/21


 वकील काठी के आदेश पर जमानती आज
 पेशा हुई। काठी रुकने उपर। वकील काठी
 ने जमानत पर पेशा कर निर्देश दिया
 कि काठी उक्त काउ में कोई कार्रवाई
 आगे चलना नही करते हैं। अतः काठी
 को जारीये निर्देश खारिज दिया जाये।

वकील काठी को रुक गया।
 रिकॉर्ड का अनलौकन दिया। काठी अपने
 काउ को चलाना नही करते हैं। अतः
 जारीये निर्देश काठी को उक्त खारिज
 दिया जाता है। जमानती जमानत सुपार
 होकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
 सीडवावा (नागौर)

